न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. ।।/2021

प्रार्थी–
एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए घुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. श्री चम्पालालसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, साथुणी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह साथुणी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. श्री रावलसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह साथुणी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4. श्री नरपतसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, साथुणी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–
1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 05.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण चम्पालालसिंह व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:58:20 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण चम्पालालसिंह व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज मे कुल 5,00,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की

सभी शर्तो को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप मे सम्पत्ति यथा **सुमेरसिंह पुत्र आईदानसिंह पट्टा नं. 11, खसरा नं. 153 साथुणी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर बनाप 100 वर्गगज** को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 05.12.2018 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2020 तक बकाया शेष रूपये 6,15,677/– भुगतान नही करने पर अप्रार्थी का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.02.2020 तक कुल 6,15,677/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। ***सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्ना[illegible]*** [illegible] प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का [illegible] किया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के [illegible]धीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नही हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:48:20 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थीगण को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नही किया है। ऐसे मे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त सम्पत्ति **"सुमेरसिंह पुत्र आईदानसिंह पट्टा नं. 11, खसरा नं. 153 साथुणी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर बनाप 100 वर्गगज"** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Lok 05/7/21

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:58:20 IST
Reason: SelfAttested